उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग—4

संख्या–1–ई०आर० /79–का–4–2001

लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2001

अधिसूचना संख्या–1–ई०आर०/79–का–4–2001, दिनांक 27 मार्च, 2001 के साथ प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त विभागाध्यक्ष /प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त मण्डलायुक्त /जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

6—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री; ऐशबाग, लखनऊ को दो प्रतियों के साथ इस अनुरोध के साथ कि उक्त नियमावली को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर, मुख पत्र सहित नियमावली की 5,000 प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

डी० के० वर्मा,

विशेष सचिव।

क्रम-संख्या—74(ङ)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 27 मार्च, 2001

चैत्र 6, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग—4

संख्या–1–ई०आर० /79–का–4–2001

लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०–185

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 में, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, नियम 4 में, वर्तमान खण्ड (द) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ध) यह उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उप-विधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, करायेगा।"

"(न) यह उसकी उप-विधियां बिना सरकार की पूर्व अनुमति के संशोधन नहीं करेगा।"

नियम 8 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नियम 8 में, उपनियम (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ङ) संघ/परिसंघ/महासंघ, जिसने, उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उप-विधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, नहीं किया हो,"

"(च) संघ/परिसंघ/महासंघ जिसने बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उसकी उप-विधियां संशोधित की हों।"

परिशिष्ट चार का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, परिशिष्ट चार में, मानक नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित मानक नियम 17 और 18 बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :–

निर्वाचन कराना

"17. संघ उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उपविधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, करायेगा।

उप-विधियों का संशोधन

18. संघ की उप-विधियां बिना सरकार की पूर्व अनुमति के संशोधित नहीं की जायेंगी।"

आज्ञा से,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1-ER-79-K-4-2001, dated March 27, 2001:

No. 1-ER-79-K-4-2001,

Dated Lucknow, March 27, 2001

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh (Recognition of Service Associations) Rules, 1979.

THE UTTAR PRADESH (RECOGNITION OF SERVICE ASSOCIATIONS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2001

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh (Recognition of Service Associations) (Firsst Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 4

2. In the Uttar Pradesh (Recognition of Service Associations) Rules, 1979, hereinafter referred to as the said rules in rule 4, *after* existing clause (*r*) the following new clause shall be *inserted*, namely:—

"(*s*) It shall hold election of its office bearer within the period prescribed in its bye-laws or within two years, whichever is earlier."

"(*t*) It shall not amend its bye-laws without prior permission of the Government."

Amendment of rule 8

3. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), *after* clause (*d*) the following clauses shall be *inserted*, namely:—

"(*e*) The Association/Federation/Confederation has not held election of its office bearer within the period prescribed in its bye laws or within two years, whichever is earlier;"

"(*f*) The Association/Federation/Confederation has amended its byelaws without prior permission of the Government."

Amendment of Appendix IV

4. In the said rules, in Appendix IV, *after* model rule 16, the following model rules 17 and 18 shall be *inserted*, namely:—

Holding of election

"17. The Association shall hold election of its office bearer within the period prescribed in its bye-laws or within two years, whichever is earlier.

Amendment of bye-laws

18. No bye-laws of the Association shall be amended without prior permission of the Government."

By order,
PRADEEP SHUKLA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०15 सा०. नियुक्ति—30-3-2001—(7446)—5000—कम्प्यूटर/आफसेट।